

अपर उपायुक्त का न्यायालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

Kolhan Title (Partition) Suit No.- 08/2023-24

ब्रज मोहन हेम्ब्रम एवं अन्य।

बनाम

सोमनाथ हेम्ब्रम एवं अन्य।

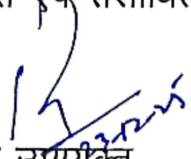
आदेश

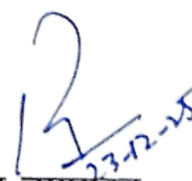
यह वाद दिनांक- 25.07.2023 को ब्रजमोहन हेम्ब्रम, पिता-स्व० प्रधान हेम्ब्रम, ग्राम-अंधारी, पोस्ट- अंधारी, थाना- कुमारडुंगी, जिला- पश्चिमी सिंहभूम एवं अन्य 01 के द्वारा वाद पत्र के Schdule- A में वर्णित वंशावली के अनुसार Schdule- B में वर्णित भूमि विवरणी का बंटवारा के लिए प्रतिवादी सोमनाथ हेम्ब्रम, पिता- स्व० महेन्द्र हेम्ब्रम, ग्राम- अंधारी, पोस्ट- अंधारी, थाना- कुमारडुंगी, जिला- पश्चिमी सिंहभूम एवं अन्य 09 के विरुद्ध दायर किया गया है। इस वाद में वादी या प्रतिवादी तथा उनके विद्ववान अधिवक्ता कई तिथियों से अनुपस्थित रहने के कारण प्रतीत होता है कि वादी एवं प्रतिवादी को वाद में कोई अभिरुचि नहीं है।

अतः उक्त के आलोक में इस वाद को खारीज (Dismiss for Default) किया जाता है एवं वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है।

असंतुष्ट पक्ष के द्वारा अपर न्यायालय में अपील दाखिल किया जा सकता है।

लेखापित एवं संशोधित।


अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।


अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा